मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1349
28.07.2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लक्ष्य

1349. श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पेरिस समझौते के तहत फरवरी, 2025 की समय-सीमा तक अपने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को प्रस्तुत करने में चूक गई है;
(ख) यदि हाँ, तो देरी के क्या कारण हैं और इसके लिए क्या नई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और
(ग) यदि नहीं, तो नवीनतम जलवायु कार्य योजना और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) पेरिस करार और जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के संकल्पों के तहत, सभी पक्षकार देशों द्वारा सीबीडीआर-आरसी के सिद्धांत और राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर हर पांच वर्ष में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) तय करना और संप्रेषित करना अपेक्षित है। भारत ने अपना पहला एनडीसी वर्ष 2015 में प्रस्तुत किया था और अगस्त, 2022 में इसका अद्यतन किया था, तथा गैर-जीवाश्म ईंधन विद्युत उत्पादन स्थापित क्षमता में 50% हिस्सेदारी पहले ही हासिल कर चुका है और अपने अन्य मात्रात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भली-भांति आगे बढ़ रहा है।

भारत की जलवायु कार्रवाई अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों, एनडीसी और वर्ष 2070 तक नेट-जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास कार्यनीति (एलटी-एलईडीएस) और प्रारंभिक अनुकूलन संचार द्वारा निर्देशित है। इस दिशा में सरकार ने जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना

(एनएपीसीसी) तैयार की है और उसे क्रियान्वित कर रही है। यह हर प्रकार की जलवायु कार्रवाई के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है और इसमें सौर ऊर्जा, उन्नत ऊर्जा दक्षता, मिशन लाइफ (पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली) के सिद्धांतों पर आधारित संधारणीय जीवनशैली, संधारणीय पर्यावास, जल, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना, हरित भारत, संधारणीय कृषि, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यनीतिक ज्ञान जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में मिशन शामिल हैं। इन सभी मिशनों को उनके संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा संस्थागत रूप दिया गया है और कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा, चौंतीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य-विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एनएपीसीसी के अनुरूप जलवायु परिवर्तन पर अपनी राज्य कार्य योजनाएं (एसएपीसीसी) तैयार की हैं। एसएपीसीसी के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्यों पर है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने भारत की जलवायु कार्रवाई को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्कीमें और कार्यक्रम शुरू किए हैं। सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं और वह अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
